भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 476
दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आन्ध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन

476. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत चार वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत जिला-वार, विशेषकर एलुरू जिले में प्रदान किए गए पानी के नलों के कनेक्शनों के पात्र और वास्तविक लाभार्थियों की कुल संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन और इसके अंतर्गत पानी के नल के कनेक्शनों में वृद्धि करने के संबंध में कोई अध्ययन/अनुसंधान कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है; और
(घ) क्या सरकार ने एलुरू में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए कोई प्रोत्साहनकारी अभियान/कार्यकलाप चलाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के साथ सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में आंध्र प्रदेश सहित राज्यों के साथ भागीदारी में कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) का शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों तक नल जल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 22.07.2024 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 11.76 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन उपलब्ध

कराए गए हैं। इस प्रकार, 23.07.2024 तक देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15 करोड़ (77.63%) ग्रामीण परिवारों के उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 15 अगस्त, 2019 को राज्य में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय लगभग 30.74 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 39.38 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, 23.07.2024 तक, आंध्र प्रदेश में लगभग 70.12 लाख (73.46%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है। पिछले चार वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के एलुरू जिला सहित जेजेएम के अंतर्गत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार नियमित रूप से आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रही है। समय-समय पर सम्मेलन, कार्यशालाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकें, क्षेत्र का दौरा आदि सहित कई बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन समीक्षाओं के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेजेएम के कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तीसरे पक्ष की कार्यक्षमता का आकलन भी किया जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ रिपोर्ट साझा की जाती हैं, यदि कोई हो।

(ग) जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे धनराशि जारी की जाती है और उनके जिले-वार निधियों के ब्यौरे का रखरखाव भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में जेजेएम के तहत पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि और रिपोर्ट किए गए निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आवंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	54.8
2020-21	276.76	790.48	297.62	574.38	427.73	180.97
2021-22	146.65	3,182.88	791.06	937.71	234.93	235.39
2022-23	702.78	3,458.20	एनडी	702.95	305.08	98.75
2023-24	397.87	6,530.49	793.57	1,191.44	862.09	940.04

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस *एनडी: आहरित नहीं*

(घ) जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल प्रदान करने के लिए पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

जल अवसंरचना के निर्माण के अलावा, जेजेएम का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों, विशेषकर स्थानीय समुदायों की क्षमता निर्माण करना, गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों के स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व प्रदान करना है। इसके लिए, जेजेएम ने राज्यों को सहायता गतिविधियों के लिए वार्षिक आवंटन का 5% तक का प्रावधान किया है। इस निधि का उपयोग राज्यों द्वारा विभिन्न सहायता गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईईसी गतिविधियाँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य जल के विवेकपूर्ण उपयोग, स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलुओं के संबंध में हितधारकों के बीच सकारात्मक व्यवहारवादी परिवर्तन लाना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जेजेएम को *'जन आंदोलन'* बनाने के लिए हितधारकों के बीच आईईसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 476 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की जिले-वार स्थिति

क्र. सं.	जिले	ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या	15 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार		नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या					22 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार	
			ग्रामीण परिवारों की संख्या	%	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	ग्रामीण परिवारों की संख्या	%
1	अलुरी सीठारामा राजू	2,90,745	23,470	8.07	-	-	-	20,521	17,613	1,76,646	60.76
2	अनाकापल्ली	4,17,489	67,359	16.13	-	-	-	84,579	10,950	2,63,540	63.13
3	अनंतपुर	4,26,438	1,90,477	44.67	-	83,834	1,08,424	45,296	25,806	3,60,909	84.63
4	अन्नमय्या	3,63,710	1,81,397	49.87	-	-	-	50,591	20,646	3,63,698	100.00
5	बापटला	3,64,788	72,292	19.82	-	-	-	14,798	5,574	1,48,240	40.64
6	चित्तूर	3,70,234	2,25,169	60.82	25,089	1,19,481	95,385	22,851	15,236	3,70,131	99.97
7	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनसीमा	4,02,434	58,474	14.53	-	-	-	88,151	2,786	3,03,095	75.32
8	पूर्व गोदावरी	3,56,543	1,64,538	46.15	55,737	1,37,418	1,76,369	51,693	36,000	3,25,336	91.25
9	एलुरु	4,79,752	2,56,892	53.55	-	-	-	55,333	11,364	4,14,257	86.35
10	गुंटूर	2,33,717	1,24,676	53.34	5,874	52,028	39,307	19,060	11,302	1,57,724	67.49
11	काकीनाडा	3,89,205	1,01,973	26.20	-	-	-	91,684	5,154	3,15,498	81.06

12	कृष्णा	3,75,691	1,12,952	30.07	399	1,18,913	42,105	37,826	5,571	2,22,890	59.33
13	कुर्नूल	3,45,790	90,710	26.23	-	74,768	56,405	45,025	33,349	2,22,765	64.42
14	नंदयाल	3,45,674	1,22,973	35.57	-	-	-	42,511	11,458	2,54,938	73.75
15	एनटीआर	2,67,874	77,226	28.83	-	-	-	17,314	5,228	1,60,390	59.88
16	पालनाडु	4,34,399	58,166	13.39	-	-	-	25,072	17,693	1,45,097	33.40
17	पार्वतीपुरम मान्यम	2,22,444	2,847	1.28	-	-	-	42,362	30,185	1,65,068	74.21
18	प्रकाशम	4,76,454	1,19,510	25.08	20,173	95,456	61,387	71,519	8,732	3,22,305	67.65
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	4,60,415	2,37,344	51.55	444	82,119	50,959	59,392	13,998	3,98,172	86.48
20	श्री सत्यसाई	3,65,072	1,44,890	39.69	3,346	-	-	59,057	4,061	3,04,203	83.33
21	श्रीकाकुलम	5,35,763	13,995	2.61	187	76,695	48,526	63,843	56,930	2,22,232	41.48
22	तिरूपति	4,17,349	2,40,311	57.58	-	-	-	34,225	17,915	4,16,592	99.82
23	विशाखापट्टनम	59,338	10,395	17.52	3,063	91,673	81,575	15,421	603	38,911	65.58
24	विजयनगरम	4,44,255	13,692	3.08	4,334	1,24,892	1,17,187	86,866	5,100	2,99,544	67.43
25	पश्चिम गोदावरी	3,69,137	1,70,938	46.31	11	1,34,107	32,322	49,105	6,119	3,09,839	83.94
26	वाई.एस.आर.	3,29,889	1,91,599	58.08	642	1,06,343	59,080	18,087	7,117	3,29,865	99.99
कुल		**95,44,599**	**30,74,265**	**32.21**	**1,19,299**	**12,97,727**	**9,69,031**	**12,12,182**	**3,86,490**	**70,11,885**	**73.46**